समाहरणालय, अरवल

ई–मेल–dwoarwal@gmail.com वेबसाइट–arwal.bih.nic.in दूरभाष–फैक्स–06337–229395

पत्रांक –605/कल्याण (जिला कल्याण शाखा) दिनांक –21/12/20

निविदा संख्या–01/2021–22
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में छात्रावासी छात्राओं के लिए भोजन/जलपान आपूर्ति करने हेतु अथवा सुरक्षा गार्ड/सफाई कर्मी को आउटसोसिंग के माध्यम से रखने हेतु निबंधित संस्थानों/स्वयंसेवी संस्था/केटरर से स्वयंसेवी संस्थान से डॉ भीमराव अम्बेदकर अनु0 जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, अरवल के लिए दिनांक 10-01-2021 के अपराहन 3:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में निविदा सीधे जिला कल्याण कार्यालय, अरवल में आमंत्रित की जाती है।

1. विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में छात्राओं को निर्धारित मीनू एवं दर पर भोजन/जलपान उपलब्ध कराना होगा। समय–समय पर विभाग द्वारा निर्धारित मीनू में परिर्वतन किया जा सकताहै। जिससे लागू करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मीनू से विचलन नहीं किया जायगा। अन्यथा आपके द्वारा सममिर्त ई0एम0 डी0 जप्त करते हुए नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जायेगी।
2. निविदा दाताओं को अलग–अलग मो0–25000.00 (पच्चीस हजार) रूपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविद प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, अरवल के पक्ष में अरवल में भुगतेय हो। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 10-01-2021 के अपराहन 3:00 बजे तक होगी।
3. सरकार के सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1631 दिनांक 27.08.2020 द्वारा प्रति छात्रा को प्रति/माह मो0–2300/– संबंधित विद्यालय हेतु निर्धारित है। जिस दर के आलोक में निर्धारित मीनू के अनुरूप भोजन एवं जलपान उपलब्ध करान होगा। भविष्य में विभाग द्वारा दर में किसी प्रकार का परिर्वतन किया जा सकता है तो वह दर ही मान्य होग।
4. उप विकास आयुक्त, अरवल के अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा 13-01-2021 को अपराहन 01:00 बजे खोली जायगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

निविदा की शर्तें :–

1. तकनिकी निविदा (Technical) शील्ड/मुहरबन्द लिफाफे मे दी जायेगी।
2. तकनिकी निविदा के साथ पैन नम्बर अद्यतन आयकर विवरणी विगत तीन वर्षों का दाखिल करने का साक्ष्य जी0एस0टी0 संबंधी प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र तीन वर्षों का निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. तकनिकी निविदा के साथ निर्धारित जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कराना होगा।
4. तकनिकी निविदा में सफल निविदाताओं को साक्षात्कार के आधार पर चयनित किया जायगा।
5. स्वीकृत निंविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस की जायगी।
6. कोई भी निविदा संबंधी दावा अरवल जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिए जिला कल्याण प्रशाखा, अरवल से सम्पर्क कर सकते है।
7. निविदादाता अथवा संबंधित फर्म को इस आशय का शपथ–पत्र मूल में समर्पित करना होगा कि उन्हें किसी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची नहीं डाला गया हो।
8. अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलंब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।
9. विविदा आमंत्रण की तिथि एंव समय के पश्चात स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. संस्थानों / केटरर को Food Inspector द्वारा कार्यादेश प्राप्त होने पूर्व Food Licence देना होगा।
11. निविदा मे सफल उम्मीदवार को मेस संचालन हेतु सरकारी प्रावधान के अनुसार एकरारनामा करना होगा। साथ ही उन्हें रसोईया एवं सफल संचालन हेतु अन्य कर्मी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
12. Sub Contract मान्य नहीं होगा।
13. बिना कारण बताये निविदा को स्थगित करने या रद् करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
14. सामान्यतः निविदा में सफल उम्मीदवार के साथ एक शैक्षणिक सत्र तक के लिए मेस संचालन एकरारनामा किया जायगा। यह एकरारनामा अगले सत्र के लिए तभी नवीकृत किया जा सकेगा जब आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा मेस संचालित अवधि तक कोई प्रमाणित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ हो।
15. भोजन जलपान आदि उपलब्ध कराने के उपरांत विधिवत अभिश्रव समर्पित करने के पश्चात राशि का भुगतान किया जायगा। किसी प्रकार का अग्रिम राशि दे नहीं होगी।
16. निविदा स्वीकृति के पश्चात सफल आपूर्तिकर्त्ता को मीनू के अनुसार पूर्व में ही एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा की आपूर्ति आदेश के एक पक्ष के भीतर आपूर्ति निश्चित रूप से शुरू कर देना होगा। अन्यथा प्रतिपूर्ति राशि जब्त कर उनके विरूद्ध कानून की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायगी।
17. आपूर्ति समाग्री के गुणवत्ता एंव विशिष्ट सत्यापान के पश्चात अनुमान्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायगा।
18. उच्चाधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण के दौरान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा संचालित मेस के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सम्यक समीक्षा कर आपूर्तित्तों के साथ किये गये एकरारनामा प्राप्त करने का अधिकार जिला कल्याण पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

आपूर्तिर्त्ता के साथ किये गये एकरारनामा प्राप्त करने का अधिकार जिला कल्याण पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

19. सुरक्षा गार्ड/सफाई कर्मी हेतु संबंधित एन0जी0ओ0/स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट को गृह विभाग, बिहार सरकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त होना चाहिए।

20. संबंधित एन0जी0ओ0/स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट Employees Insurance Copration कम्पनी एक्ट में निबंधित/पंजीकृत होना चाहिए।

उप विकास आयुक्त
अरवल।

E:\DWO 2020-21\April\NIWIDA 2021-22.docx